न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—38/2017 (2017/00111) वाद पत्र

उनवान

1—तुलछा पिता ज्वारा तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—भैरू पिता चम्पालाल तेली निवासी पालरां नाबा जरिये आसन्न मित्र तुलछा तेली

वादीगण

बनाम

1—राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय जिला भीलवाड़ा
2—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—महादेव जी स्थान देह ग्राम पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. सुनिल बापना — वादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—22.03.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पालरा तहसील रायपुर की सरहद में साबिक आराजी संख्या 355, 356, 357 किता 3 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा थी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ प्रस्तुत है। उक्त आराजियात के बाबत प्रतिवादी संख्या 3 पूर्व पुजारी सोहनपुरी गोस्वामी ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के न्यायालय में वादीगण के पूर्वज अमरा पिता तेजा तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर के विरूद्व प्रस्तुत कर यह निवेदन किया अमरा पिता तेजा तेली का अंकन उक्त आराजियात मे मु0बी0क0 खडमदार की हैसियत से दर्ज है जिसको हटाया जाकर खड़मदार प्रतिवादी संख्या 3 के पुजारी सोहनपुरी के नाम पर खडमदार के रूप में अंकित की जावे, उक्त प्रकरण संख्या 8/87 रेफरेन्स में दर्ज होकर बाद कार्यवाही दिनांक 29/08/1991 को प्रतिवादी संख्या 3 के प्रतिनिधि श्री सोहनपुरी गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पोषणीय न मानते हुए प्रस्तुत है। खारिज फरमाया गया। निर्णय की प्रमाणित प्रति वादपत्र के साथ है। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 3 के पुजारी द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा कोई अपील अथवा निगरानी उक्त निर्णय के विरूद्व नहीं की गई, इस प्रकार उक्त आराजियात पर वादीगण के पुर्वज श्री अमरा जी पिता तेजा जी तेली निवासी—पालरा का नाम जो राजस्व रेकार्ड में मु०बी०क० खडमदार के रूप में अंकित था जिसको किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी गई, वादीगण का अपने पूर्वजों के समय से उक्त आराजियात पर कब्जा चला आ रहा है जिसको [illegible] वर्ष से भी अधिक का अर्सा व्यतीत हो चुका है। अन्य ग्रामों के साथ ग्राम पालरा तहसील [illegible] भी नवीन बन्दोबस्त हुआ जिसमें साबिक आराजियात के हाल [illegible] हेक्टेयर डाले गये, किन्तु वादीगण के पूर्वजों का नाम [illegible] प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी तुलछा पिता ज्वारा तेली को एक नोटिस [illegible]/2017/95 दिनांक [illegible]/2017 को जारी कर 23/02/2017 को तलब किया गया जिसमे प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:58 IST
Reason: SelfAttested

किया कि हाल आराजी नम्बर 442 रकबा 0.23 हेक्टेयर पर वादी संख्या एक का अतिक्रमण मानते हुए दिनांक 14/02/2016 को जारी किया जाकर पेशी दिनांक 23/02/2017 को जवाब तलब किया गया जिसका जवाब बरोज पेशी दिनांक 23/02/2017 को वादी संख्या 1 ने प्रस्तुत किया जिसके साथ माननीय अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, भीलवाडा के न्यायालय में चली रेफरेन्स की कार्यवाही में पारित निर्णय दिनांक 29/08/1991 की प्रति भी प्रस्तुत की गई, किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा नोटिस की कार्यवाही को समाप्त नहीं की गई और वादीगण को हाल आराजी नम्बर 442 से बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं जबकि वादीगण द्वारा कोई अनाधिकृत अतिक्रमण उक्त आराजी पर नहीं किया गया। वादीगण के पूर्वज श्री अमरा जी पिता तेजा जी तेली का निधन हो गया और वर्तमान में वादीगण हाल आराजी नम्बर 442 पर काबिज चला आ रहा है, किन्तु प्रतिवादी संख्या 2 वादीगण को खातेदारी काश्तकार अधिनियम के अन्तर्गत खातेदार काश्तकार नहीं मान रहे हैं और बेदखल करने पर भी आमादा हो रहे हैं जिससे वादी को यह वादपत्र बाबत घोषणा खातेदारी अधिकार एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण खातेदारी अधिकार की घोषणा इस आशय की जारी फरमाइ जावे कि ग्राम पालरा की हाल आराजी 442 रकबा 0.23 है0 के खातेदार काश्तकार है, क्योकि उनके पूर्वक उक्त आराजी के साबिक आराजी नम्बर 355, 356, 357 के खडमदार थे। साथ ही विरूद्व प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार का दखल नहीं करे, उनको वादवर्णित आराजी से बेदखल नही करें और वादीगण के विरूद्व अनाधिकृत अतिक्रमण की कार्यवाही भी संस्थित नहीं करें और वादीगण को शान्तिपूर्वक काश्त करने एवं काश्त लाभ लेने देंवे और वादी संख्या 1 के विरूद्व जारी किया नोटिस बाबत् अतिक्रमण को भी निरस्त फरमाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 08.05.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब के रूप में जरिये प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी तहसीलदार रायपुर के द्वारा अकंन किया कि ग्राम पालरां की साबिक आराजी संख्या 355, 356, 357 किता 3 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि जिसके हाल नम्बर 442 रकबा 0.23 है0 कायम हुए उक्त साबिक आराजी संवत 2009 की जामबन्दी में महादेवजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड थी उक्त आराजी के नवीन खसरा नम्बर भी वर्तमान में महादेवजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। मुर्ति महादेव शाश्वत नाबालिक है वादी को उक्त आराजी के सम्बन्ध में वाद पेश करने का कोई विधिक अधिकार नही हैं। वादी अतिक्रमी तथा उसका लोकस स्टेन्डर्ड नही है उक्त वाद में वर्णित आराजियात में राज्य सरकार द्वारा जारी नॉटिफिकेशन से पुजारियो के नाम [illegible] जारी हुए है जिसकी पालना में वादी के पूर्वजो के नाम हटे तथा वर्तमान में पुजारीयो [illegible] नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है। वादी एक अतिक्रमी [illegible] में महा[illegible] स्थान देह की भूमि पर काबिज है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र [illegible]

उक्त प्रकरण में वाद और प्रतिवाद के आधार [illegible] निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया ग्राम पालरा की आराजी संख्या 355, 356, 357 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि जामबन्दी संवत 2012 से 2015 में वादी के पूर्वज अमरा पिता तेजा तेली का अंकन खड़मदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:58 IST
Reason: SelfAttested

मु0बि0क0 की हैसियत से दर्ज था और तत्कालीन पुजारी की हैसियत से दर्ज था और तत्कालीन पुजारी सोहनपुरी गोसाई द्वारा 8/87 रेफरेन्स किया जो दिनांक 29.04.1991 को सोहनपुरी का आवेदन खारीज हुआ जिसको किसी ने चुनौति नही दी। जिम्मे वादीगण

2. आया हाल आराजी नम्बर 422 रकबा 0.23 है0 पर वादीगण का अनाधिकृत कब्जा आधिपत्य नही होकर खड़मदार के रूप में काबिज है। जिम्मे वादीगण

3. आया वादीगण विरूद्व प्रतिवादी निषेधाज्ञा की डिकी पाने के अधिकारी है कि प्रतिवादी वादीगण के उनके जायज आधिपत्य से बेदखल नही करें। जिम्मे वादीगण

4. आया वादीगण के पूर्वज उक्त आराजी के खड़मदार होने से वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। जिम्मे वादीगण

5. आया वादीगण अतिक्रमी है तो वाद हाजा पर क्या असर है। जिम्मे प्रतिवादीगण

6. दादरसी ?

प्रकरण में वादीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वादवर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादीगण को वादवर्णित भूमि का खड़मदार होना अकिंत किया गया है और वाद के समर्थन में आरआरडी 1987 पेज 261, आरआरडी 1985 पेज 298, आरआरडी 2013 (1) पेज 421 की नजीरे प्रस्तुत की है।

प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा मुख्य कथन किया कि आधार वर्ष की जमाबन्दी में वादीगण का नाम खड़मदार की हैसियत से दर्ज नही है। और बाद में जो खड़मदार का नाम अगली रोटेशन में दर्ज कर दिया गया है जो रेकार्ड के विपरीत है जिसके आधार पर वादीगण वादवर्णित भूमि का खातेदारी घोषणा कराने का अधिकारी नही है। वाद खारीज फरमाया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया एवं वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त को बारीकी से अध्ययन करने से पाया कि वादवर्णित भूमि का वादीगण संवत 2012 से 2015 की जमाबन्दी में अनुसार खड़मदार नही था और राजस्व विभाग के द्वारा चौसाला जमाबन्दी के बाद आगामी रोटेशन लिखा जाता है वो पिछली जमाबन्दी अनुसार एवं उसमें जरिये नामान्तकरण के परिविर्तित इन्द्राज को शामिल करते हुए ही जमाबन्दी तैयार की जाती है। वादीगण द्वारा जो सवंत 2016 से 2019 की जमाबन्दी पेश की गई है उसमें खड़मदार व पुजारी लिखते हुए नवीन जमाबन्दी लिखी गई है जो पिछले रोटेशन के मुकाबले शुन्य है। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार तनकीवार निर्णय किया जाता है जो इस प्रकार है।

वाद में वर्णित तनकियो पर तनकीवार निर्णय इस प्रकार है।

1. आया ग्राम पालरा की आराजी संख्या 355, 356, 357 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि जमाबन्दी संवत 2012 से 2015 में वादी के पूर्वज अमरा पिता तेजा तेली का अंकन खड़मदार मु0बि0क0 की हैसियत से दर्ज था और तत्कालीन पुजारी की हैसियत से दर्ज था और तत्कालीन पुजारी सोहनपुरी गोसाई द्वारा 8/87 रेफरेन्स किया जो दिनांक 29.04.1991 को सोहनपुरी का आवेदन खारीज हुआ जिसको किसी ने चुनौति नही दी। जिम्मे वादीगण

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा वादवर्णित आराजियात के सम्बन्ध में रेकार्ड प्रस्तुत किया जिसमें न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के प्रकरण 8/87 भगवान महादेवजी स्थान देह बनाम श्री अमरा तेली के निर्णय की फोटो प्रति पेश की गई है जो प्रदर्श 1 है। नवीन आराजी संख्या 442 पर वादीगण द्वारा अतिक्रमण करने से तहसीलदार रायपुर दिये गये नोटिस की प्रति पेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:58 IST
Reason: SelfAttested

की जो प्रदर्श 2 है। जमाबन्दी सवंत 2072 से 2075 की खाता संख्या 557 की नकल पेश की गई जिसमें वादवर्णित आराजी संख्या 442 महादेवजी स्थान देह के नाम खातेदार के रूप में दर्ज रेकार्ड है जो प्रदर्श 3 है। पजीकृत सूचना पत्र अन्तर्गत धारा 80 जाब्ता दीवानी की प्रति पेश की जो प्रदर्श 4 है। नोटिस प्राप्ति की प्रति पेश की जो प्रदर्श 5 से 8 है। जमाबन्दी संवत 2012 से 2015 की फोटो प्रति पेश की जो प्रदर्श 9 है। जमाबन्दी संवत 2016 से 2019 के खाता संख्या 291 की पेश की गई जो प्रदर्श 10 है। जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 से के खाता संख्या 7 की नकल की फोटो प्रति पेश की गई जो प्रदर्श 11 है। जमाबन्दी संवत 2024 से 2027 की फोटो प्रति पेश की जो प्रदर्श 12 है। जमाबन्दी संवत 2028 से 2031 की फोटोप्रति पेश की जो प्रदर्श 13 है। जमाबन्दी संवत 2044 से 2047 की फोटो प्रति पेश की जो प्रदर्श 14 है। इसके अतिरिक्त वाद के समर्थन में वादीगण द्वारा स्वयं के साथ साथ नंगजीराम पिता एकलिंग तेजी, सोहन पिता गुलाब गाडरी, भवंर पिता चम्पा, उदा पिता गोकल के बयान कराये गये। उक्त सभी के बयानो में मौके पर वादीगण का कब्जा होना दर्शाया गया है। वादीगण द्वारा जो रेकार्ड प्रदर्शित कराया गया जिसमें प्रदर्श 1 व 9 से 14 तक जो महत्वपूर्ण रेकार्ड है जिसकी प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत नही कर मात्र फोटो प्रतियां पेश की गई जो मूलवाद में स्वीकार योग्य नही है।

फिर भी न्यायहित में इनका अवलोकन करने से पाया कि प्रदर्श 1 जो अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के निर्णय की प्रति है जिसमें महादेवजी स्थान देह के पुजारी सोहन पुरी के द्वारा अमरा पिता तेजा के विरूद्व प्रार्थना पत्र पेश कर महादेवजी स्थान देह के नाम दर्ज भूमि आराजी संख्या 355, 356, 357 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा पर विपक्षी अमरा के नाम मु0बि0क0 की हैसियत से दर्ज कर दिया गया जिसका नाम हटाने के लिये पुजारी द्वारा रेकार्ड के अनुसार पक्षकार बनाते हुए रेफरेन्स प्रस्तुत किया जो रेफरेन्स मृतक के विरूद्व पेश होने से अस्वीकार किया गया है। रेफरेन्स खारीज होने से वादीगण इस वाद में यह प्ली लेकर आया है कि रेफरेन्स को चुनौति नही दी गई। देवमूर्ति की ओर से पूजारी या सरकार की ओर से चुनोति नही देने से वादीगण इस वाद में कोई दाद नही हासिल नही कर सकता है। पुजारी के द्वारा जो रेफरेन्स पेश किया गया है वो न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा के निर्णय के अनुसार जमाबन्दी 2012 से 2015 व संवत 2029 से 2042 की जमाबन्दी को आधार मानते हुए पेश किया गया है। आधार वर्ष की प्रथम जमाबन्दी संवत 2012 से 2015 की खाता संख्या 282 जो महादेवजी स्थान देह के नाम दर्ज होकर पुजारी शंकरपुरी पिता किशनपुरी के रूप में दर्ज है। उक्त जमाबन्दी में वादवर्णित आराजियात मु0बि0क0 के रूप में अमरा पिता पेमा तेली के नाम दर्ज है इस जमाबन्दी में खड़मदार का कोई इन्द्राज नही है। अर्थात महादेवजी स्थान देह की भूमि का कोई भी व्यक्ति खड़मदार नही है, केवल मु0बि0क की हैसियत से दर्ज है और समस्त भूमि महादेवजी स्थान देह के नाम दर्ज है। भगवान मूर्ति को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 के तहत् अवस्यक माना गया है। वादीगण द्वारा जो वाद में वादीगण को खड़मदार मानते हुए वाद पेश किया गया है जो रेकार्ड के विपरीत है। ऐसा कोई रेकार्ड [illegible] वादीगण के द्वारा इस प्रकरण में प्रस्तुत नही किया है जो आधार [illegible] या उनके पूर्वज खड़मदार की हैसियत से दर्ज हो। वादीगण द्वारा वाद में प्रकरण [illegible]87 रेफरेन्स खारीज के निर्णय की प्रति को आधार मानकर भी वाद पेश किया गया है जो उक्त निर्णय का लाभ वादीगण लेने के अधिकारी नही है। चूंकि उक्त निर्णय मृतक के [illegible] पेश होने से खारीज किया गया है न कि मेरिट के आधार पर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:58 IST
Reason: SelfAttested

2. आया हाल आराजी नम्बर 422 रकबा 0.23 है0 पर वादीगण का अनाधिकृत कब्जा आधिपत्य नही होकर खड़मदार के रूप में काबिज है। जिम्मे वादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था लेकिन वादीगण द्वारा इस प्रकरण में संवत 2012 से 2015 की जमाबन्दी की फोटो प्रति पेश की गई जो स्वीकार योग्य नही है। उक्त जामबन्दी में महोदवजी स्थान देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। खड़मदार होने का किसी भी आराजियात में कोई इन्द्राज नही है। राजस्व विभाग के द्वारा चौसाला जमाबन्दी के बाद आगामी रोटेशन लिखा जाता है वो पिछली जमाबन्दी अनुसार ही लिखा जाता है। वादीगण द्वारा जो सवंत 2016 से 2019 की जमाबन्दी पेश की गई है उसमें खड़मदार व पुजारी लिखते हुए नवीन जमाबन्दी लिखी गई है जो पिछले रोटेशन के मुकाबले शुन्य है। साथ ही इस जमाबन्दी में ऐसे किसी नामान्तकरण का भी इन्द्राज नही है जिससे यह साबित होता हो कि अमुख नामान्तकरण के जरिये खड़मदार लिखा गया हो। तत्कालीन राजस्व कार्मिक द्वारा उक्त लिपीकीय त्रुटी करने से आगामी रोटेशन में भी जमाबन्दीयो में मु0बि0क0 खड़मदार के रूप में इन्द्राज कर दिया गया है जबकि वादीगण एवं वादीगण के पूर्वजो को पुजारी के द्वारा भूमि रहन रखने से मु0बि0क0 दर्ज हुआ है न कि खड़मदार।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 43 के अनुसार मु0बि0क0 की अवधि अधिकतम 5 वर्ष की होती है और भू प्रबन्ध के दौरान अगर किसी व्यक्ति का नाम मु0बि0क0 की हैसियत से दर्ज है तो वो अधिकतम 20 वर्ष के बाद नाम हट जाता है। उक्त प्रकरण में वादीगण का कोई अधिकार नही बनता है वादीगण अगर भूमि पर काबिज है तो भी वो एक अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। उक्त तनकी को भी साबित कराने में वादी असफल रहने से इस तनकी का निर्णय भी बहक प्रतिवादी विरूद्व वादीगण किया जाता है।

3. आया वादीगण विरूद्व प्रतिवादी निषेधाज्ञा की डिकी पाने के अधिकारी है कि प्रतिवादी वादीगण के उनके जायज आधिपत्य से बेदखल नही करें। जिम्मे वादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था। वादीगण को वादवर्णित प्रकरण में कायम तनकी नम्बर 1 व 2 एवं 3 व 4 आपस में सम्बधित है। विस्तृत निर्णय तनकी नम्बर 1 व 2 में किया जा चुका है। तनकी नम्बर 1 व 2 वादीगण के विरूद्व निर्णित होने से और वादीगण का कब्जा इस आराजियात पर होने से वादीगण अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है न कि खड़मदार की हैसियत से। स्वयं प्रतिवादी 2 के द्वारा भी वादी को अतिक्रमी मानकर जो नोटिस दिया गया है वो इस प्रकरण में प्रदर्श 2 है। ऐसी स्थिति में इस तनकी के अनुसार वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी नही है जिससे उक्त तनकी निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादीगण किया जाता है।

4. आया वादीगण के पूर्वज उक्त आराजी के खड़मदार होने से वादीगण खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है। जिम्मे वादीगण

इस तनकी को साबित कराने का भार वादीगण पर था। वादीगण का नाम या इनके पूर्वजो का नाम मेवाड़ सेटलमेन्ट की जमाबन्दी में खड़मदार की हैसियत से दर्ज नही था और उसी अनुसार आधार वर्ष की [illegible] 2015 में भी खड़मदार दर्ज नही होने से वादीगण खड़मदार की हैसियत से खातेदारी अधिकार होने के अधिकारी नही है विस्तृत निर्णय तनकी नम्बर 1 व 2 में किया जा चुका है जिसके आधार पर इस तनकी का निर्णय भी बहक प्रतिवादीगण विरूद्व वादीगण किया जाता है।

5. आया वादीगण अतिक्रमी है तो वाद हाजा पर क्या असर है। जिम्मे प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:58 IST
Reason: SelfAttested

इस तनकी को साबित कराने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी नम्बर 1 से 4 वादीगण के विरूद्व निर्णित की गई है। स्वयं प्रतिवादी के द्वारा भी मौके पर कब्जा वादीगण का होना तो माना गया है किन्तु उक्त कब्जा अतिक्रमी की हैसियत से होने से प्रतिवादी के द्वारा वादीगणो को नोटिस जारी किया गया है जो इस पत्रावली में प्रदर्श 2 है जिसके अनुसार वादीगण खड़मदार नही होकर अतिक्रमी है जिससे इस तनकी का निर्णय बहक प्रतिवादी विरूद्व वादीगण किया जाता है।

6. दादरसी ?

वादीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद के समर्थन में जो न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये है जिन पर गहनता से विचार किया जाने पर उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है जिससे वादीगण प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त के आधार पर भी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वर्णित भूमि पर वादीगण या वादीगण के पूर्वजो का नाम मेवाड़ सेटलमेन्ट के दौरान खड़मदार की हैसियत से राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नही होने से वाद अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/03/2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:58 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–38 / 2017 (2017 / 00111) वाद पत्र

उनवान

1–तुलछा पिता ज्वारा तेली निवासी पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–भैरू पिता चम्पालाल तेली निवासी पालरां नाबा जरिये आसन्न मित्र तुलछा तेली

वादीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय जिला भीलवाड़ा
2–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–महादेव जी स्थान देह ग्राम पालरां तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद वर्णित भूमि पर वादीगण या वादीगण के पूर्वजो का नाम मेवाड़ सेटलमेन्ट के दौरान खड़मदार की हैसियत से राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज नही होने से वाद अस्वीकार किया जाता है।

वाद में डिक्री आज दिनांक 22.03.2022 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

22/03/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.04.11 16:53:58 IST
Reason: SelfAttested